राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर, अरेरा हिल्स,
भोपाल,मध्यप्रदेश

क्रं./एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य पोषण/2019 685 | भोपाल, दिनांक 27/06/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर,
   मध्यप्रदेश।

विषयः— वर्ष 2019—20 में नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI) कार्यक्रम के अंतर्गत 6—59 माह के बच्चों में आई.एफ.ए. सिरप अनुपूरण सुनिश्चित करने एवं रिर्पोटिंग हेतु आशा के प्रोत्साहन राशि के संबंध में दिशा—निर्देश।

*****

विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय कर किया जा रहा है।

ज्ञातव्य हो कि **वार्षिक कार्ययोजना 2019—20 में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं 6 से 59 माह के बच्चों में आई.एफ.ए. अनुपूरण सुनिश्चित करने हेतु मैदानी स्तर पर आशा कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करते हुए आशा को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।**

उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि :—

- वार्षिक कार्ययोजना 2019—20 के गतिविधि क्रमांक 3.1.1.1.9 के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को 6 से 59 माह के बच्चों को एकत्रित करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आई.एफ.ए. सिरप अनुपूरण कराने में सहयोग प्रदान करने एवं अनुपूरण की मासिक रिर्पोट सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाये।
- **प्रत्येक ग्राम में लगभग 1000 की जनसंख्या पर 6 से 59 माह के अनुमानित 100 से 130 बच्चे संभावित है जिनका एकत्रितकरण आशा कार्यकर्ता द्वारा सप्ताह में मंगलवार एवं शुक्रवार को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर किया जाये।**
- **आंगनवाड़ी केन्द्र पर एकत्रित हितग्राहियों में 1 एम.एल. आई.एफ.ए. सीरप की प्रदायगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा सुनिश्चित कराने पर आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि रू. 100/— प्रति माह, प्रति आशा के मान से प्रदाय की जाये।**
- **आई.एफ.ए. सीरप अनुपूरण —**

1. आशा द्वारा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को 6—59 माह के समस्त बच्चों को माता सहित आंगनवाड़ी केन्द्र सह ग्राम आरोग्य केन्द्र पर एकत्रित किया जाये।
2. **इस हेतु 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जावे क्योंकि 3—5 वर्षीय बच्चे आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन गरम पका भोजन प्राप्त करने एकत्रित होते है। यदि कोई हितग्राही बच्चा, महिला एवं बाल विकास विभाग की Hot cooked meals योजना के लाभ से वंचित हो तो, आशा द्वारा**

उसके पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये मंगलवार तथा शुक्रवार को बच्चे की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

3. आई.एफ.ए. सीरप की प्रदायगी से पूर्व माताओं को बच्चे में एनीमिया के दुष्प्रभाव एवं आई.एफ.ए. सीरप के द्विसप्ताहिक अनूपुरण के बारे में आशा द्वारा समझाईश दी जाये।
4. हितग्राही बच्चों को आई.एफ.ए. सीरप का अनुपूरण माँ को समझाइश उपरांत स्तनपान के बाद या अर्द्धठोस अथवा ठोस ऊपरी आहार के आधे घण्टे पश्चात किया जाये।
5. आई.एफ.ए. सीरप की बोतलें ग्राम आरोग्य केन्द्र सह आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सुरक्षित स्थान पर बच्चों के पहुंच से दूर, ठण्डे व अंधेरे स्थान पर संधारित की जाये।
6. प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को एकत्रित औसतन 100–130 बच्चों के लिये हर बार आई.एफ.ए. सीरप की 50 एम.एल. की 2–3 बोतलें खोलने की आवश्यकता होगी। (1 एम.एल. अनुपूरण प्रति बच्चे के मान से)
7. **50 एम.एल. की 1 बॉटल खाली होने पर एवं 50 से अधिक बच्चे होने की स्थिति में आई.एफ.ए. सीरप की दूसरी बॉटल खोली जावे एवं तिथि अंकित की जाये।**
8. **इस प्रकार आंगनावाड़ी सह ग्राम आरोग्य केन्द्र पर प्रति माह के अनुपूरण हेतु 12 बोतल एवं 3 माह के स्टॉक हेतु लगभग 40 बोतलें रखने की आवश्यकता होगी जिसकी संधारण व्यवस्था आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ समन्वय कर आशा कार्यकर्ता द्वारा सुनिश्चित जाये।**
9. **ए.एन.एम. एवं आशा कार्यकर्ताओं का 1 एम.एल. आई.एफ.ए. सीरप की मात्रा एवं ऑटोडिस्पेन्सर से उक्त मात्रा सटीक मापने की जानकारी के संबंध में मासिक बैठकों के दौरान उन्मुख किया जाये।**

- **<u>आई.एफ.ए. सिरप अनुपूरण हेतु ऑटोडिस्पेन्सर के उपयोग की प्रक्रिया –</u>**

a) **आई.एफ.ए. सिरप (50ml) बोतल के ऊपरी भाग में लगा प्लास्टिक का कटोरी नुमा केप ऑटोडिस्पेन्सर है।**

b) **आई.एफ.ए. सिरप बोतल से 1ml दवाई पिलाने हेतु बोतल के उपरी भाग में लगे प्लास्टिक के ऑटोडिस्पेन्सर का उपयोग करे।**

c) **आई.एफ.ए. सिरप बोतल के ढक्कन को खोलने के पश्चात बोतल को धीरे–धीरे दबाते हुये बोतल में लगे ऑटोडिस्पेन्सर को ऊपर तक पूरा भरें।**

d) **दबाव हटाने पर ऑटो डिस्पेंसर में केवल 1 एम.एल.आई.एफ.ए. सिरप ही शेष रहेगा जिसे ऊपर से हर हितग्राही बच्चे को पिलाया जाये।**

- **<u>आई.एफ.ए. सीरप संबंधी रिपोर्टिंग –</u>**

10. आशा द्वारा एक सामान्य रजिस्टर में ग्राम के समस्त 6–59 माह के बच्चों की नामजद जानकारी इंद्राज की जावे एवं माहवार मंगलवार एवं शुक्रवार के 8 कॉलम बच्चे के नाम के आगे बनाई जाये। प्रति मंगलवार/शुक्रवार को बच्चे के आई.एफ.ए सीरप अनुपूरण के बाद बच्चे के नाम के आगे हरे स्केच पेन से (✓) सही का निशान लगाया जाये। यदि बच्चा किसी कारणवश आंगनवाड़ी केन्द्र में उपस्थित नहीं हो तो लाल स्केच पेन से (X) नहीं का निशान लगाया जाये। <u>उदाहरणार्थः–</u>

माह मई 2019

क्र.	नाम	7/5/19	10/5/19	14/5/19	17/5/19	21/5/19	24/5/19	28/5/19	31/5/19	4/6/19
		शुक्रवार	मंगलवार	शुक्रवार	मंगलवार	शुक्रवार	मंगलवार	शुक्रवार	मंगलवार	शुक्रवार
1	राहूल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	पिंकी	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓
3	बिट्टू	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. सरल क्र. 3 में दर्शित बच्चे जैसे डिफॉल्टर बच्चों को ढूंढने एवं आई.एफ.ए. सीरप अनुपूरित करने हेतु विशेष प्रयास किये जाये। यदि बच्चा पलायन पर हो अथवा ग्राम से बाहर गया हो तो इस संबंध में रिमार्क अंकित की जाये।
12. **आई.एफ.ए. सीरप अनुपूरित बच्चों की संकलित संख्या आशा कार्यकर्ता द्वारा आशा सहयोगिनी को प्रत्येक माह की 25 से 30 तारीख के मध्य निर्धारित निपी रजिस्टर के प्रपत्र में दी जावे ताकि प्रोत्साहन राशि का नियमानुसार अंतरण किया जा सके।**
13. **साथ ही राज्य स्तर से मुद्रित नवीन एम.सी.पी. कार्ड में पृष्ठ क्रमांक 27 पर आई.एफ.ए अनुपूरण की जानकारी आशा कार्यकर्ता द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जाये। (चित्र क्रमांक–1)**
14. **आशा कार्यकर्ता से प्राप्त समस्त प्रपत्र आशा सहयोगिनी द्वारा विकासखण्ड स्तर से प्राप्त नवीन संकलन प्रपत्र में संकलित कर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विकासखण्ड स्तर पर बी.एम.ओ/बी.सी.एम. को प्रदान की जाये।**
15. **बी.सी.एम./बी.एम.ओ द्वारा अपने विकासखण्ड की संकलित रिपोर्ट जिला स्तर पर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक डी.सी.एम./डी.एम.एण्ड.ई. को एच.एम. आई.एस.पोर्टल पर इंद्राज करने एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक राज्य स्तर पर प्रेषित करने हेतु प्रदान की जाये।**
16. **आशा कार्यकर्ता को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के समय सीमा मे वितरण हेतु जिला स्तर पर जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर (डी.सी.एम.) एवं विकासखंड स्तर पर विकासखंड कम्युनिटी मोबिलाइजर (बी.सी.एम.) जवाबदेय होंगे।**

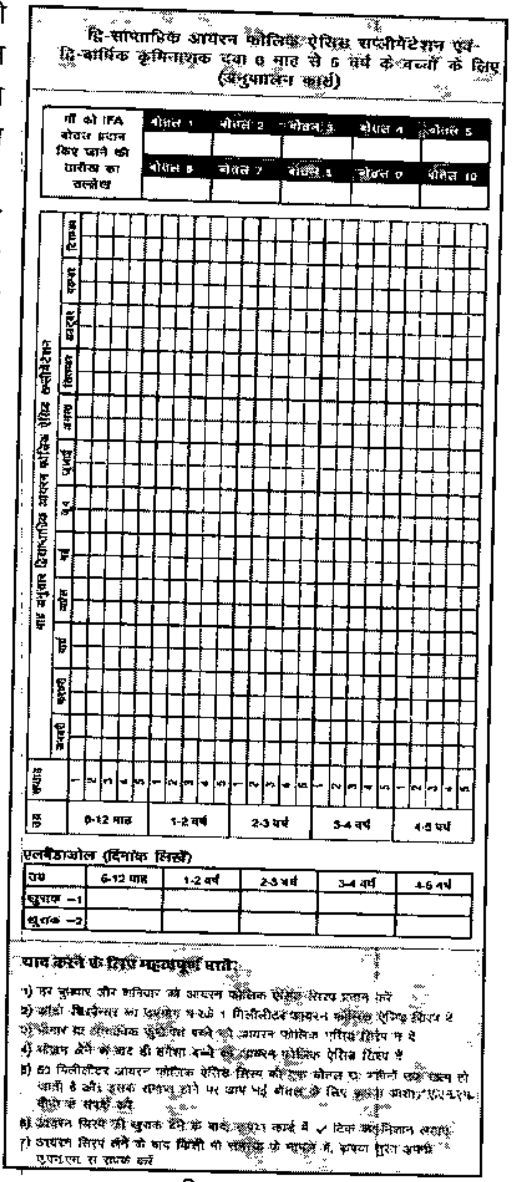

चित्र क्र.–1

17. **आशा कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन राशि की जानकारी बी.सी.एम. द्वारा आशा सॉफ्टवेयर में अनिवार्यतः इंद्राज की जाये।**

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक,
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश

पृ.क्र./एन.एच.एम./ शिशु स्वास्थ्य पोषण /2019 6852 भोपाल, दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.।
3. अपर संचालक, एन.एच.एम.म.प्र.।
4. संचालक, वित्त, एन.एच.एम.म.प्र.।
5. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
6. उपसंचालक, आशा, एन.एच.एम., म.प्र.।
7. उपसंचालक, आर.के.एस.के, एन.एच.एम., म.प्र.।
8. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, म.प्र.।
9. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनिशिएटिव, म.प्र.।
10. समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी, म.प्र.।
11. समस्त संभागीय, आर.एम.एन.सी.एच.+ए सलाहकार, एन.एच.एम., म.प्र.।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., म.प्र.।
13. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, शहडोल, मण्डला, छतरपुर, बड़वानी, सतना, पन्ना, डिन्डौरी, झाबुआ, उमारिया, सिंगरौली, अलीराजपुर।
14. समस्त जिला लेखा प्रबंधक,एन.एच.एम., म.प्र.।
15. समस्त जिला कम्यूनिटि माबिलाइजर,आशा प्रकोष्ठ, एन.एच.एम., म.प्र.।
16. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, एन.एच.एम., म.प्र.।
17. समस्त खण्ड कम्यूनिटि माबिलाइजर, आशा प्रकोष्ठ, एन.एच.एम., म.प्र.।

मिशन संचालक,
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश